भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3297

गुरुवार, 21 अगस्त, 2025/30 श्रावण, 1947 (शक)

गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का संकट

3297. डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएलएफएस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अवैतनिक पारिवारिक सहायकों और कम आय वाले स्व-रोज़गार, जो गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के संकट की ओर संकेत करते हैं, की हिस्सेदारी में चिंताजनक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) ई-श्रम पोर्टल पर लाखों लोगों के पंजीकरण के बावजूद, पेंशन और बीमा जैसे कौन-कौन से ठोस सामाजिक सुरक्षा लाभ वास्तव में प्रदान किए गए हैं;

(ग) सामाजिक सुरक्षा संहिता पारित होने के वर्षों बाद भी, गिग वकर्स के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना अधिसूचित न किए जाने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) महिला श्रम बल भागीदारी में तीव्र गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) केवल पंजीकरण के बजाय वास्तविक नौकरियां प्रदान करने में राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल कितना प्रभावशील है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार में स्व-नियोजित कामगारों (घरेलू उद्यम में सहायक सहित) की रोजगार संबंधी अनुमानित प्रतिशतता 2017-18 में 52.2% से बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गयी है।

रोज़गार सृजन के साथ-साथ रोज़गार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार रोज़गार (स्व-रोज़गार सहित) और रोज़गार की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि का क्रियान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सितंबर 2017 और मई 2025 के बीच 7.91 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हुए हैं, जो रोजगार बाजार के औपचारिकरण में वृद्धि का संकेत देते हैं। साथ ही, 2024-25 के दौरान 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए हैं।

(ख): असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने के लिए वन-स्टॉप-समाधान के रूप में ई-श्रम विकसित करने के संबंध में बजट घोषणा 2024-25 के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" शुरू किया। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने का अवसर मिलता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्ड धारकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना दावे का लाभ तथा पहुंच मिल सके।

उपरोक्त के अलावा, ई-श्रम को रोजगार के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) और पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ जोड़ा गया है।

ई-श्रम पर पंजीकृत कामगारों का योजना-वार विवरण, जिन्होंने केंद्र सरकार की ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सफलतापूर्वक लाभ प्राप्त किया है, अनुबंध-**I** में दिया गया है।

(ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और दिव्यांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है। इस संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का भी प्रावधान है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर्स के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने 1.2.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने, उनके पहचान पत्र की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

(घ)**:** नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर **15** वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) वर्ष 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है। साथ ही, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का रोज़गार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) भी इसी अवधि के दौरान 22.0**%** से बढ़कर 40.3% हो गया है।

(ङ**):** भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, रोजगार क्षमता में वृद्धि कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म **[**www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

दिनांक 14.07.2025 तक, एनसीएस पोर्टल में 48 लाख से अधिक सक्रिय नियोक्ता और 40 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां हैं। इसके अलावा, अब तक 6.43 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 21.08.2025 के अतारांकित प्रश्न 3297 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

केंद्र सरकार की चुनिंदा योजनाओं के साथ एकीकृत/मैप किए गए ई-श्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं की संख्या निम्नानुसार है:

योजना	**पंजीकरण की संख्या**
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	23,88,72,825
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	15,10,05,933
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	8,45,71,947
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	6,13,13,022
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	3,92,94,453
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	2,25,52,062
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	97,22,670
प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)	32,20,776
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	31,27,099
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)	24,70,135
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	23,690
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	16,667

स्रोत: ई-श्रम डेटा